



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1544/2026

हकीम

-----आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष बाजपेयी

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता , राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि पुलिस दल को एक मुखबिर खास (गुप्त सूचना देने वाला) ने सूचना दी थी, जिसने पुलिस दल को बताया कि गाय के बछड़ों का वध किया गया है और इसमें शामिल लोग मांस को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस दल बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर, उन्होंने कथित तौर पर कुछ आवाजें सुनीं "सुबह होने वाली है।" पुलिस दल ने वहां मौजूद लोगों को चुनौती दी और उन्हें बताया कि वे घिरे हुए हैं और आत्मसमर्पण करने को कहा। जवाब में, आरोपियों ने कथित तौर पर कहा " पुलिस आ गई है " , इसलिए उनमें से किसी को भी भागने नहीं चाहिए और नहीं तो उन्हें पुलिस द्वारा गोली मार दी जाएगी। आगे आरोप है कि पुलिस दल ने गोली चलाई, तभी एक आरोपी ने चिल्लाकर कहा कि उसे गोली लग गई है। इसके बाद, तीन लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चौथा भागने में सफल रहा।

आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अत्यंत अविश्वसनीय है और इसमें गंभीर विसंगतियां हैं। यह बताया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, घटना सुबह 10:45 बजे घटी थी; हालांकि, उसी दिन की मांस निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण का समय सुबह 10:00 बजे दर्ज है, यानी कथित घटना से पूर्व। यह विरोधाभास अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाता है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस स्पष्ट असंभावना को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 1393/2026 में सह-आरोपी अकबर अली के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करते हुए बहराइच के पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है और कथित रूप से बांका (धारदार हथियार) और मांस की बरामदगी मनगढ़ंत है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान अधिवक्ता के अनुसार,विशेष रूप से मांस निरीक्षण रिपोर्ट में दिखाई देने वाली विसंगति के मद्देनज़र , पूरा अभियोजन पक्ष झूठ का पुलिंदा है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के जेल से रिहा होने के बाद भाग जाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

तथ्यों एवं एवं परिस्थितियों के समुचित विचार करने पर, विशेष रूप से इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, और आवेदक 22.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं इस विचार पर पहुँचा हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए ।

तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

मुकदमा अपराध सख्यां / प्रथम सूचना रिपोर्ट- 13/2026, धारा 109(1), 325, 3(5) बी.एन.एस, उत्तर प्रदेश गौहत्या निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दर्ज मामले में आवेदक **हकीम** को ,संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलके और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा। मामले की परिस्थितियों के अनुसार विचारण न्यायालय /संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे की योग्यता पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

18 मार्च 2026

आरसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।